न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत–2018 केम्प कोर्ट मूशी तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 6 / 2018 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. राजु पिता केला चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रवण माता दाखी चमार उम्र वयस्क निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. गीता माता दाखी चमार उम्र वयस्क निवासी झांतल तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. केसी पुत्री केला चमार उम्र वयस्क निवासी अमरगढ तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

— अपीलार्थीगण

बनाम

1 सरजु पत्नि माना चमार उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्यामलाल पिता माना चमार उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 काना पिता माना चमार उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 घीसी पुत्री काना चमार उम्र वयस्क निवासी मूशी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 ग्राम पंचायत मूशी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामा. संख्या 1670 आदेश दिनांक 27–01–2012 ग्राम पंचायत मूशी

उपस्थित –
1. अपीलार्थी संख्या 01 उपस्थित
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 उपस्थित
3. राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 09.05.2018

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम मूशी, पटवार मण्डल मूशी तहसील बनेड़ा स्थित आराजी संख्या 2749 रकबा 05–14 बीघा भूमि अपीलार्थी के पिता / दादा श्री केला पिता छोटु चमार के नाम से दर्ज रेकार्ड थी जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण केला चमार के वैद्य / वास्तविक वारिसान के बजाय एक ही नाम के अन्य व्यक्ति श्री केला पिता भैरू चमार के वारिसानों जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रत्यर्थी क्रम 04 के नाम त्रूटीपूर्ण गलत तौर पर दर्ज कि गया। जबकि अपीलार्थीगण ही मृतक केला पिता छोटु चमार की वास्तविक जाई संताने है।

जिनके के नाम पर ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण नहीं खोल कर विधिक भूल की है। उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को होते ही, उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रस्तुत अपीलपत्र राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम मूशी में नया प्राप्त होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। शिविर में अपीलार्थी संख्या 01 एंव प्रत्यर्थी संख्या 01 उपस्थित। प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित पक्षकरान को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो सजरा प्रमाणित किया है उसमें अपीलार्थीगण को मृतक केला के वारिस होना नहीं बताया गया है। इसके विपरीत मृतक केला के जाईन्दा पुत्र ने अपने अपील मेमों के समर्थन में उसके स्वंय के आधार कार्ड की प्रति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया एवं उपस्थित रेस्पोड़ेन्ट ने भी अपीलार्थीगण को मृतक केला चमार की संतान होने के सम्बंध में कोई आपति एवं एतराज दौराने सुनवाई प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण मृतक केला चमार के प्रथमश्रैणी वारिसान होकर अपीलाधीन नामान्तरण में अपना नाम बतौर वारिस जुड़वाने के अधिकारी है। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक केला चमार के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 1670 आदेश दिनांक 27.01.2012 को अपास्त किया किया जाकर तहसीलदार बनेडा को प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी के खसरा नम्बर 2749 रकबा 05–14 बीघा भूमि में प्रत्यर्थीगण संख्या 01 लगायत 04 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित करा अपीलार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम मूशी में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा